निर्णय बइजलास श्री अभिषेक चारण आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी मनोहरथाना जिला झालावाड राजस्थान निर्णय दिनांक 24/06/2022

तारीख दायरा 14.09.2017

प्रकरण संख्या 131/दावा/17
ऑनलाइन प्रकरण संख्या 00151/2017

उनवान

1. श्री घनश्याम पिता नन्दा जाति लोधा निवासी पिपलोदी तहसील मनोहरथाना जिला झालावाड़

—वादी

बनाम

1. कालूलाल पिता देवीलाल जाति भील निवासी पिपलोदी तहसील मनोहरथाना
2. रामलाल पिता कालू जाति भील निवासी पिपलोदी तहसील मनोहरथाना
3. मोतीलाल पिता कालू जाति भील निवासी पिपलोदी तहसील मनोहरथाना
4. घासीलाल वल्द बंशीलाल जाति भील निवासी पिपलोदी तहसील मनोहरथाना जिला झालावाड (राज.)

—प्रतिवादीगण

वाद धारा 183 आर.टी.एक्ट

निर्णय दिनांक 24.06.2022

उपस्थित वकील वादी —श्री कैलाश चन्द वैष्णव

पत्रावली पेश हुई संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183 राज0टी0एक्ट के तहत इस आशय का पेश किया कि ग्राम पिपलोदी पटवार हल्का मनपसर तहसील मनोहरथाना जिला झालावाड की खाता संख्या नया 71 पुरानी 3 कि खसरा नम्बरान 559 की 1 बीघा 7 बिस्वा, एवं 625 की 3 बीघा 11 बिस्वा कुल 2 किता की 4 बीघा 18 बिस्वा, कुल आराजी वादी के शामिल खाते की दर्ज है जिसमें वादी का 1/2 हिस्सा दर्ज है। वर्णित आराजी में वादी का 1/2 हिस्से पर प्रतिवादीगण 1 लगायत 4 ने जबरन बलपूर्वक नाजायज रूप से अर्सा 5–6 साल से कब्जा कर रखा है जो बेहेसियत अतिक्रमी एवं बेदखल होने से योग्य है। वर्णित आराजी में वादी के हिस्से की 1/2 भाग आराजी पर प्रतिवादीगण ने जबरन बलपूर्वक नाजायज रूप से कब्जा कर रखा है जो बेहेसियत अतिक्रमी एवं बेदखल होने योग्य है। क्योंकि प्रतिवादीगण के खाते में कोई नाम दर्ज नहीं है फिर भी जबरन कब्जा कर रखा है। जो बेदखल होने योग्य हे। वर्णित आराजी में से वादी ने प्रतिवादीगण 1 लगायत 4 से अपने हिस्से की 1/2 भाग आराजी पर से कब्जा हटाने बाबत् कई बार कहा परन्तु प्रतिवादीगण द्वारा कोई सुनवाई नहीं कि अन्तिम बार दिनांक /6/2017 को वादी ने प्रतिवादीगण से कहने पर प्रतिवादीगण द्वारा असहमति व्यक्त करने से एवं कब्जा छोडने से साफ इनकार हो जाने से वाद हेतु उत्पन्न हुआ है। अतः प्रतिवादीगण 1 ता 4 को उक्त वर्णित आराजी से बेदखल कर कब्जा आराजी नापकर वादी को सम्भलाया जावे। इस आशय बाबत वाद डिकी किया जावे।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया। प्रतिवादी नम्बर 1 ता 4 बावजूद सूचना अनुपस्थित होने से इनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल मे लाई गई। वकील वादी की बहस सुनी गई। वकील वादी का कथन है कि ग्राम पिपलोदी पटवार हल्का मनपसर तहसील मनोहरथाना जिला झालावाड की खाता संख्या नया 71 पुरानी 8 कि खसरा नम्बरान 559 की 1 बीघा 7 बिस्वा, एवं 625 की 3 बीघा 11 बिस्वा कुल 2 किता की 4 बीघा 18 बिस्वा, कुल आराजी वादी के शामिल खाते की दर्ज है वर्णित आराजी में वादी का 1/2 हिस्से पर प्रतिवादीगण 1 लगायत 4 ने जबरन बलपूर्वक नाजायज रूप से अर्सा 5–6 साल से कब्जा कर रखा है अतः प्रतिवादीगण 1 ता 4 को उक्त वर्णित आराजी से बेदखल कर कब्जा आराजी नापकर वादी को संभलाया जावे। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया वर्णित आराजी वादी की खातेदारी आराजी है जिस पर प्रतिवादीगण का कब्जा बहैसियत है। वाद के प्रमाण मे नकल जमाबन्दी ग्राम पिपलोदी संवत 2071 से 2074 की खाता संख्या नया 71, पुराना 8 पेश किया गया है जिसके अवलोकन से वाद वादी डिकी किये जाने योग्य है।

अतः वाद वादी डिकी किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम पिपलोदी पटवार हल्का मनपसर तहसील मनोहरथाना जिला झालावाड की खाता संख्या नया 71 पुरानी 8 कि खसरा नम्बरान 559 की 1 बीघा 7 बिस्वा, एवं 625 की 3 बीघा 11 बिस्वा कुल 2 किता की 4 बीघा 18 बिस्वा, कुल आराजी वादी के शामिल खाते हिस्सा 1/2 पर यदि प्रतिवादीगण का कब्जा पाया जाता है तो उक्त वर्णित आराजी से बेदखल कर कब्जा आराजी नापकर वादी को संभलाया जावे। डिकी जारी की जावे।

निर्णय आज दिनांक 24.06.2022 सरे इजलास टंकण करवाया जाकर सुनवाया गया।

(श्री ... एस)
उपखण्ड अधिकारी
मनोहरथाना, जिला झालावाड

डिक्री मुकद्मात इब्तदाई
(ओ0 20 रूल 6–7 जाप्ता दीवानी)

निर्णय बइजलास श्री अभिषेक चारण आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी मनोहरथाना जिला झालावाड राजस्थान निर्णय दिनांक 24/06/2022

प्रकरण संख्या 131/दावा/17

तारीख दायरा 14.09.2017

उनवान

1. श्री घनश्याम पिता नन्दा जाति लोधा निवासी पिपलोदी तहसील मनोहरथाना जिला झालावाड़

–वादी

बनाम

1. कालूलाल पिता देवीलाल जाति भील निवासी पिपलोदी तहसील मनोहरथाना
2. रामलाल पिता कालू जाति भील निवासी पिपलोदी तहसील मनोहरथाना
3. मोतीलाल पिता कालू जाति भील निवासी पिपलोदी तहसील मनोहरथाना
4. घासीलाल वल्द बंशीलाल जाति भील निवासी पिपलोदी तहसील मनोहरथाना जिला झालावाड (राज.)

–प्रतिवादीगण

वाद धारा 183 राज0टी0एक्ट

आज यह मुकद्मा वास्ते इन फिसाल कतई रूबरू मुझ अभिषेक चारण (आर0ए0एस0) बहाजरी वकील वादी श्री कैलाश चन्द वैष्णव मिन जानिब मुददालय -------- ने पेश होकर आदेश दिया जाता है कि:–

ग्राम पिपलोदी पटवार हल्का मनपसर तहसील मनोहरथाना जिला झालावाड की खाता संख्या नया 71 पुरानी 8 कि खसरा नम्बरान 559 की 1 बीघा 7 बिस्वा, एवं 625 की 3 बीघा 11 बिस्वा कुल 2 किता की 4 बीघा 18 बिस्वा, कुल आराजी वादी के शामिल खाते हिस्सा 1/2 पर यदि प्रतिवादीगण का कब्जा पाया जाता है तो उक्त वर्णित आराजी से बेदखल कर कब्जा आराजी नापकर वादी को संभलाया जावे।

आज दिनांक 24.06.2022 को हमारे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रांक से जारी कि गई।

(श्री अभिषेक चारण आर0ए0एस
उपखण्ड अधिकारी मनोहरथाना

उपखण्ड अधिकारी
मनोहरथाना, जिला झालावाड